नृप सिंह नपलच्याल
N.S. Napalchyal

मुख्य सूचना आयुक्त
Chief Information Commissioner

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सी-30, सेक्टर-I, डिफेन्स कालोनी
देहरादून, उत्तराखण्ड
Uttarakhand Information Commission
C-30, Sec-I, Defence Colony
Dehradun, Uttarakhand
Phone : (Off.) : 0135-2666778
Fax : 0135-2666779
Mob. : 09412992127

पत्रांक : 1956 /उ.सू.आ./2011
दिनांक : 08/03, 2011

प्रिय सुभाष,

आयोग में प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष यह तथ्य आये हैं कि कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने पद तथा उनको प्राप्त शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये सूचना आवेदनकर्ताओं को उत्पीड़ित कर हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह तथ्य आयोग में आपके साथ बैठक के समय में इंगित किया गया था।

2. आयोग के समक्ष प्रस्तुत ऐसे प्रकरणों में से कुछ को मैं आपके संज्ञान मे लाना चाहूंगा.

2.1 आयोग में योजित द्वितीय अपील संख्या A(D)–3721/2010 श्री एल.पी. जुयाल बनाम लोक सूचना अधिकारी / थानाध्यक्ष, बंसत विहार, देहरादून व अन्य में शिकायत की गई है कि उपनिरीक्षक, जय प्रकाश कोहली, चौकी इंचार्ज, इंदिरा नगर, देहरादून द्वारा आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पर तथा उससे संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिये गये अनुरोध पत्र की जांच के कम में आवेदक के ही विरूद्ध सीआरपीसी 107/116 की कार्यवाही कर दी गयी. यह कार्यवाही आवेदक द्वारा की गयी शिकायत तथा सूचना आवेदन पत्र की प्रतिकिया के रूप में की गयी है.

2.2 आयोग में योजित द्वितीय अपील संख्या A(D)–3900/2010 डॉ. सम्राट शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी / प्राचार्य, बी.एस.एम. पी.जी. कॉलेज, रूड़की, जिला हरिद्वार व अन्य में शिकायत की गई है कि प्राचार्य, बी.एस.एम. पी.जी. कॉलेज, रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुरोध पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उनकी वार्षिक चरित्र प्रविष्टि में अंकन किया गया. यह कार्यवाही आवेदक द्वारा की गयी शिकायत तथा सूचना आवेदन पत्र की प्रतिकिया के रूप में की गयी है.

2.3 आयोग में योजित शिकायत संख्या 3874/सी–18(2)(1105)/2010 मौ0 मुरसलीन कुरैशी बनाम लोक सूचना अधिकारी / कोतवाली प्रभारी निरीक्षक, ज्वालापुर जिला हरिद्वार व अन्य में शिकायत की गई है कि प्रभारी निरीक्षक, ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा आवेदक के सूचना के अनुरोध पत्र को फाड़कर उसके साथ मारपीट कर उसे बन्द कर दिया गया। यह उत्पीड़न आवेदक द्वारा सूचना हेतु अनुरोध पत्र दिये जाने की प्रतिकिया के रूप में किया गया है.

2.4 आयोग में योजित शिकायत संख्या 3748/18(2)/2010 श्री मोहन सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी / जिलाधिकारी, चमोली व अन्य में शिकायत की गई है कि नायब तहसीलदार, घाट जिला चमोली, उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुरोध पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उन पर शान्ति भंग करने का आरोप लगाकर नायब तहसीलदार को एक झूठा शिकायती पत्र प्रस्तुत किया जिसके फलस्वरूप उप जिला मजिस्ट्रेट, चमोली ने धारा 107/116 सी.आर.पी.सी. के तहत चालान किया। यह कार्यवाही आवेदक द्वारा की गयी शिकायत तथा सूचना आवेदन पत्र की प्रतिकिया के रूप में की गयी है.

3. आयोग द्वारा इन समस्त प्रकरणों को अत्यन्त गम्भीरता से लिया गया है तथा सम्बन्धित उत्पीड़नकर्ताओं के विरूद्ध जांच कर कार्यवाही करने की संस्तुति दी गयी है /दी जा रही है। सूचनार्थियों को लोकप्राधिकारियों अथवा लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा सूचना मांगने के आधार पर या प्रतिकिया स्वरूप उत्पीड़ित किया जाना नितान्त आपत्तिजनक तथा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे सूचना के अधिकार की मूल भावना पर ही कुठाराघात होता है जो किसी भी प्रकार सहनीय नहीं है।

4. अतः आपसे अनुरोध है, कि शासन के समस्त प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्षों, मण्डल आयुक्तों एंव जिला अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि लोकप्राधिकारियों के रूप में वह सुनिश्चित करें कि किसी भी अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा सूचनार्थियों का किसी प्रकार का उत्पीड़न न किया जाये तथा उत्पीड़न किये जाने का संज्ञान होने पर ऐसे अधिकारियों/प्राधिकारियों के विरूद्ध अत्यन्त कठोर कार्यवाही की जाये।

5. यह भी अनुरोध है, कि राज्य सरकार की ओर से कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को यह संस्तुति प्रेषित की जाये कि उत्पीड़न के ऐसे कृत्यों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक कृत्यों की श्रेणी में लाकर उत्पीड़नकर्ता के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा योजित करने का विधिक प्रावधान अधिनियम में संशोधन द्वारा किया जाये।

6. कृपया शासन स्तर से उपरोक्त बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की सूचना आयोग को भी यथाशीघ्र देने का कष्ट करें। कृपया इस गम्भीर प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का कष्ट करें।

सद्भाव सहित,

भवनिष्ठ,

(एन. एस. नपलच्याल) 7/3/11

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

प्रतिलिपिः— श्री राजीव चन्द्र, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त